APP-A
Crim-I

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

कमल कुमार जैन बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 नं. 48 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/2/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। तहसील रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली हो। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पर बहस की जो सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा जर्ये बेयनामा दिनांक 21.01.1994 को श्रीमती तुलसी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री गोरधन गुर्जर निवासी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा उप तहसील मण्डाना जिला कोटा के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 173 की रकबा 2.43 है0 आराजी ग्राम रोझडी तहसील लाडपुरा कोटा में से प्रार्थी द्वारा 0.022 है0 आराजी को खरीद किया गया था तथा प्रार्थी के साथ ही उपरोक्त भूमि में से 0.022 है0 भूमि को जर्ये बेयनामा श्री नरेन्द्र कुमार आत्मज श्री छोगालाल जैन निवासी अणुदीप कार्यालय रावतभाटा ने भी खरीद किया था। बाद खरीद से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर मालिक स्वामी चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि जरये बेयनामा नामान्तरकरण खुलवाने पर राजस्व रिकॉर्ड में खरीददार नरेन्द्र कुमार पुत्र छोगालाल जैन के नाम इंतकाल संख्या 38 खोला जाकर क्रम संख्या 4 पर सही नाम दर्ज कर दिया तथा इसी के साथ इसी नामान्तरकरण संख्या में प्रार्थी की खरीदशुदा उक्त भूमि का भी इंतकाल खोला गया परन्तु प्रार्थी के सही नाम कमल कुमार जैन आत्मज श्री महावीर जैन के स्थान पर क्रम संख्या 5 में कमलदीप जैन पुत्र छोगालाल जैन अंकित कर दिया गया है। जो कि गलत नाम है जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कमल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर जैन है जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती किया जाकर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम कमल कुमार जैन आत्मज श्री महावीर जैन दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृषि आराजी खसरा नं0 173 की रकबा 2.43 है0 आराजी ग्राम रोझड़ी तहसील लाडपुरा की खरीदशुदा आराजी 0.022 है0 के खोले गये इंतकाल संख्या 38 के क्रम संख्या5 पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये प्रार्थी का गलत व त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज नाम कमलदीप जैन पुत्र छोगालाल जैन के स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम कमल कुमार जैन पुत्र महावीर जैन दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे। प्रकरण में तहसील लाडपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसील लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि ग्राम रोझडी नामा0 संख्या 38 दिनांक 29.02.1996 के कॉलम संख्या 9 के क्रम संख्या 5 पर कमलदीप जैन पुत्र छोगालाल जैन अणुदीप कॉलोनी नाम दर्ज हुआ है। जो कि जर्ये उपपंजीयक मण्डाना	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 20.01.1994 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 3 कम संख्या 551 पृष्ठ संख्या 224 से पंजीकृत रजि0 विकय पत्र से दर्ज किया गया है। रजि0 विकय पत्र 20.01.1994 कम सं0 551 संलग्न फोटो प्रति एवं मूल प्रति से मिलान किया गया। उक्त विकय पत्र में खसरा न0 173 रकबा 2.43 है0 में से 0.022 है0 भूमि का बेचान विकेता द्वारा केता कमल कुमार जैन आत्मज श्री महावीर जैन निवासी बसंत बिहार कोटा को किया गया है। उक्त नामा0 सं0 38 दिनांक 29.02.1996 में कुल 34 रजि0 विकय पत्र का नामान्तरकरण एक साथ दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण तत्समय पटवारी हल्का द्वारा कॉलम संख्या 9 के कम सं0 5 पर केता खातेदार का नाम सहवन से मुताबिक रजि0 विकय पत्र अनुसार दर्ज नही किया गया है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज यथा नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 29.02.1996, विकय पंत्र. दिनांक 20.01.1994, जमाबंदी का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि रजि0 विकय पत्र 20.01.1994 में खसरा न0 173 रकबा 2.43 है0 में से 0.022 है0 भूमि का बेचान विकेता द्वारा केता कमल कुमार जैन आत्मज श्री महावीर जैन निवासी बसंत बिहार कोटा को किया गया है। रजि0 विकय पत्र से दर्ज ग्राम रोझडी के नामा0 संख्या 38 दिनांक 29.02.1996 के कॉलम संख्या 9 के कम संख्या 5 पर कमल कुमार जैन आत्मज महावीर जैन निवासी बसंत विहार दादाबाड़ी कोटा के स्थान पर कमलदीप जैन पुत्र छोगालाल जैन अणुदीप कॉलोनी नाम दर्ज हुआ है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया गया है कि उक्त विक्रय पत्र में खसरा न0 173 रकबा 2.43 है0 में से 0.022 है0 भूमि का बेचान विकेता द्वारा केता कमल कुमार जैन आत्मज श्री महावीर जैन निवासी बसंत बिहार कोटा को किया गया है। उक्त नामा0 सं0 38 दिनांक 29.02.1996 में कुल 34 रजि0 विकय पत्र का नामान्तरकरण एक साथ दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तरकरण तत्समय पटवारी हल्का द्वारा कॉलम संख्या 9 के कम सं0 5 पर केता खातेदार का नाम सहवन से मुताबिक रजि0 विकय पत्र अनुसार दर्ज नही किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन एवं तहसीलदार लाडपुरा की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रोझडी तहसीलदार लाडपुरा के खसरा नं0 173 के राजस्व रिकॉर्ड में कमलदीप जैन पुत्र छोगालाल जैन के स्थान पर कमल कुमार जैन पुत्र महावीर जैन दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। उक्त निर्णय आज दिनांक 27/2/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटा	उपखण्ड अधिकारी कोटा